



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल  
( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

**THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL**  
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/794

दिनांक: 13.01.2026

को,  
प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के परिशिष्ट 2U में संशोधन के संबंध में।**

**संदर्भ संख्या: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 42/2025-26 दिनांक 09 जनवरी, 2026।**

आपको सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार महानिदेशक ने प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के अंतर्गत **इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र (ईबीआरसी)** जारी करने के लिए **परिशिष्ट 2यू** के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

मौजूदा ई-बीआरसी प्रारूप में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

(i) मौजूदा ईबीआरसी प्रारूप में नए फ़िल्ड जोड़ना:

- जीएसटीआईएन
- जीएसटी चालान संख्या
- जीएसटी चालान की तिथि

(ii) मौजूदा ईबीआरसी प्रारूप में फ़िल्ड स्तरों का संशोधन:

- पता/जीएसटीआईएन को पते में बदल दिया गया है।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :** प्रक्रिया पुस्तिका, 2023 के परिशिष्ट 2U को उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है (अनुलग्नक-1)। यह 13 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।

कृपया विस्तृत सार्वजनिक सूचना यहाँ देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/mails\\_images/20260112061801.pdf](https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260112061801.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल